

भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन अधिनियम को लोकसभा की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2018 पारित कर दिया है जो रशिवत देने वालों और रशिवत लेने वालों को दंडित करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम लोक सेवकों के रशिवत देने या लेने का दोषी पाए जाने पर जुर्माना के अलावा तीन से सात साल तक के जेल की सज़ा का प्रावधान करता है।

प्रमुख बिंदु

- यह अधिनियम सरकारी कर्मचारियों का दायरा भी बढ़ाता है जिन्हें अभियोजन पक्ष के लिये पूर्व सरकारी मंजूरी के प्रावधान से संरक्षित किया जाएगा।
- जाँच शुरू करने के लिये सरकार की पूर्व अनुमति पाने के प्रावधान ने कई लोगों को यह कहने को प्रेरित किया है कि कानून अपने मूल मसौदे से "कमज़ोर" हो गया है।
- संशोधन अधिनियम में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को दो साल के अंदर ही नपिटाना होगा। राज्यसभा में एक सप्ताह पहले ही इस बिल को मंजूरी मलि गई थी। अधिनियम में सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का मामला शुरू करने से पहले लोकपाल और राज्य के लोकायुक्त की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाना

- अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा प्रदान की गई है कि ईमानदार अधिकारी को झूठी शिकायतों से धमकाया न जा सके।
- पहले का भ्रष्टाचार वरिधी कानून और वर्तमान कानून "कपटपूर्ण रशिवत देने वालों" और जो "मजबूर (coerced)" हैं, के बीच एक अंतर बताता है। ऐसे मामलों में अधिनियम उन लोगों की रक्षा करता है जो इस मामले की रिपोर्ट सात दिनों के भीतर करते हैं।

सरकार पर आरोप

- बहस में भाग लेने वाले कई सदस्यों ने चुनाव वयय को रोकने और राजनीति में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये चुनावों में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- एक संसद सदस्य ने अधिनियम का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे के बावजूद मल्टी-करोड़ राफेल सौदा, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और वजिय मालया द्वारा बैंक धोखाधड़ी सहित कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है लेकिन वास्तविकता वलिकुल वपिरीत है। देश में अधिकतम भ्रष्टाचार और न्यूनतम रोकथाम है। लोकपाल की नयिकृति में देरी पर भी सवाल उठाया गया।

भ्रष्टाचार नरिधक अधिनियम, 1988

- भ्रष्टाचार नरिधक अधिनियम, 1988 भारतीय संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून है जो सरकारी तंत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
- इसके पश्चात् भारत ने यूएनसीएसी की पुष्टि, रशिवतखोरी और भ्रष्टाचार आदि अपराधों से नपिटने के लिये अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई जैसे घटनाक्रमों की भी अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में समीक्षा की जानी आवश्यक हो गई ताकि इसे भी अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणाली के अनुरूप लाया जा सके और यूएनसीएसी के अंतर्गत देश के दायित्वों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।
- भ्रष्टाचार नरिधक (संशोधन) अधिनियम, 2013 को इसी उद्देश्य के अंतर्गत 19 अगस्त, 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया। इस विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने राज्यसभा को 6 फरवरी, 2014 को इस अधिनियम पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी लेकिन अधिनियम पारित नहीं हो सका।
- अधिनियम में रशिवतखोरी से संबंधित अपराधों को परिभाषित करने के एक महत्वपूर्ण बदलाव के विचार को देखते हुए प्रस्तावित संशोधनों पर भारतीय विधि आयोग के विचार मांगे गए थे। भारतीय विधि आयोग की 254वीं रिपोर्ट के द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप इस अधिनियम में संशोधन किये गए हैं।

